

Regarding of RTI Case Sh. Nrupendra R/o Etawah HQ Letter No. 2022/HQ/ADMIN/RTI/741 & 742 dated 06.06.2022.

From : Arunkumar Adlakha <akadlakha@dfcc.co.in> Mon, Jun 20, 2022 03:10 PM
Subject : Regarding of RTI Case Sh. Nrupendra R/o Etawah HQ Letter No. 2022/HQ/ADMIN/RTI/741 & 742 dated 06.06.2022. 1 attachment
To : HC Singh <hcsingh@dfcc.co.in>, DC Champia <dcchampia@dfcc.co.in>, Suryansh Gupta <sgupta01@dfcc.co.in>
Cc : Manuj Kumar Saraswat <mksaraswat@dfcc.co.in>, Sunil Singh <cgmtundla@dfcc.co.in>, SusantaKumar Panda <skpanda@dfcc.co.in>

महोदय,

कृपया उक्त पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।



सादर,

अरुण कुमार अदलखा

उप मुख्य परियोजना प्रबंधक/ मानव संसाधन

डी.एफ.सी.सी.आई.एल / टूडला

मोबाइल:-**9717637538**

— 20220620173550.pdf
164 KB



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

TDL/EN/Grievance/KD/321(A)


दिनांक:- 20.06.2022

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/सिविल
डी० एफ० सी० सी० आई० एल०
कानपुर,

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री नृपेन्द्र सिंह पुत्र स्व: चन्द्रभान सिंह, निवासी- ग्राम रितौरा, तहसील- भरथना, जनपद- इटावा, के द्वारा मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ:-**
- I. मुख्यालय के पत्र संख्या 2022/HQ/ADMIN/RTI-741 एवं 742 दिनांक 06.06.2022.
 - II. इस कार्यालय के ई-मेल दिनांक 06.06.2022.
 - III. आपके कार्यालय द्वारा प्राप्त पत्र संख्या CNB/EN/RTI/16(A)/Y-22/M-06/359 दिनांक 18.06.2022.

आपके द्वारा मद संख्या 3 में उल्लेख किया है कि प्रकरण पर निर्णयोपरान्त जानकारी RTI के तहत दी जानी उचित होगी। इस सन्दर्भ में अवगत कराया जाता है कि RTI में कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है अपितु वर्तमान वस्तुस्थिति/जानकारी से आवेदक को अवगत कराया जाता है। आपके द्वारा प्रेषित उत्तर RTI के प्रावधानों के अन्तर्गत निहित नहीं है आप इसे पुनः देखें एवं वर्तमान वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए पूर्ण जानकारी दें। RTI प्रकरण में विलम्ब के लिए सम्बंधित कार्यालय उत्तरदायी होगा।


(अरुण कुमार अदलखा)

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/मानव संसाधन/टूंडला



डिडीकॉरिडोरकार्पोरेशन्ऑफइण्डियालिमिटेड
भारतसरकार (रेल मंत्रालय)काउपक्रम
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)

पत्रांक: CNB/EN/RTI/16(A)/Y-22/M-06/359

दिनांक: 18.06.2022

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
टुण्डला (आगरा)

Dispatch No. 359

Date: 18/06/2022

Through Email/Posted/By hand

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005, के अन्तर्गत, ग्राम-रीतौर, तहसील-भरथना, जिला-इटावा की अर्जित भूमि गाटा सं0-135 में श्री नृपेन्द्र सिंह पुत्र स्व: चन्द्रभान सिंह, के द्वारा मांगी गई सूचना के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-1. आवेदक का पत्र 18.05.2022

2. संयुक्त महाप्रबन्धक/एण्डमीन (सीपीआईओ), नई दिल्ली, का पत्र 2022/HQ/ADMIN/RTI-741 Dated 06.06.2022

3. संयुक्त महाप्रबन्धक/एण्डमीन (सीपीआईओ), नई दिल्ली, का पत्र 2022/HQ/ADMIN/RTI-742 Dated 06.06.2022

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री नृपेन्द्र सिंह पुत्र स्व: चन्द्रभान सिंह निवासी, ग्राम-नगला मोती, मौजा-रीतौर, नगलामोती, मौजा-रीतौर, तह0-भरथना जनपद इटावा संयुक्त महाप्रबन्धक/एण्डमीन (सीपीआईओ), नई दिल्ली, को सम्बोधित है, संयुक्त महाप्रबन्धक/एण्डमीन (सीपीआईओ), नई दिल्ली, के पत्र 2021/HQ/ADMIN/RTI-741 Dated 06.06.2022 एवं 2021/HQ/ADMIN/RTI-742 Dated 06.06.2022 साथ इस कार्यालय में उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/एच0आर0/टुण्डला की ई-मेल के माध्यम से दिनांक 07.06.2022 को प्राप्त हुआ है, जो कि आवेदक द्वारा मांगी गई एक ही सूचना है।

- उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगतनीय है कि उत्तर मध्य रेलवे बोर्ड (सी0आर0बी) एंड एम0ई0 इलाहाबाद द्वारा की दैतक दिनांक 19.07.2017 में लिये गये निर्णय के अनुसार, तकनीकी कारणों से आर0यू0बी0 निर्माण में परिवर्तन किया गया। रेलवे बोर्ड के लिये गये निर्णय के कारण, आर0आ0बी के स्थान आर0यू0बी0एस0 के लिये पहले से तय किए गए स्थानों से भिन्न है, इसलिये डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, द्वारा अभियोजित भूमि में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अतएव अभिनिर्णीत गाटाओं पर तत्कालीन परिस्थितियों में, भौतिक कब्जा डी0एफ0सी0सी0 द्वारा नहीं लिया गया परन्तु कतिपय गाटाओं का प्रतिकर भुगतान किया जा चुका है।
- उक्त परिस्थितियों में, औपचारिक अपेक्षित कार्यवाही हेतु, जिसमें आवेदक को गाटा संख्या भी सम्मिलित हैं, यथा समय E-office के माध्यम से File No TDL/7/2022-O/o Dy.CPM/Civil/CNB/DFCC (Computer No 14285) Date 17.03.2022 आपको प्रेषित की गयी है। आवेदक द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत, मांगी गई सूचना की जानकारी, उक्त प्रकरण पर अन्तिम निर्णयोपरान्त ही दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एच0सी0सिंह)

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/कानपुर

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/एच0 आर0 डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, टुण्डला।
- उप परियोजना प्रबन्धक, नोडल अधिकारी (भू0अ0) इटावा डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, कानपुर।